नम्बर व ता...
अहकाम जो ...
की तामील में जा...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

...सल संख्या:– 403/2017

निर्णय दिनांक :–04.10.19

...वानी दावा :

किशनलाल पुत्र हरिराम मीणा आयु 34 वर्ष निवासी ग्राम टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. सोहनी देवी पत्नी हुक्का मीणा आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक ।
2. फूला देवी पत्नी लालाराम मीणा आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक ।
3. सत्यनारायण पुत्र नन्दलाल मीणा आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक ।
4. फूला पुत्री नन्दलाल जाति गुर्जर आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक ।
5. हनुमान पुत्र स्व. देवीलाल जाति गुर्जर आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक ।
6. महावीरी पुत्री गोमदी जाति गुर्जर आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक ।
7. पार्वती पुत्री गोमदी जाति गुर्जर आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक ।
8. गोमदी पत्नी स्व. देवीलाल जाति गुर्जर आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक ।
9. सन्तरा देवी पत्नी प्रभूलाल बैरवा आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक ।
10. तहसीलदार देवली जिला टोंक (राज.)
11. यू.बी.आई.शाखा दूनी जरिये मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान
12. बैंक ऑफ बड़ोदा जरिये मैनेजर बैक ऑफ बड़ोदा शाखा दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान

– प्रतिपक्षीगण –

उपस्थिति:–
श्री बन्शी लाल कलवार
अधिवक्ता प्रार्थी

2

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या
1 ता 9 व 11 ता 12
तहसीलदार दूनी
अप्रार्थी संख्या 2 ता 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि र्थी की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी ख. नं. 1277 रकबा 0.62 है0 व ख. नं. 1266 रकबा 0.44 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.06 है0 वाके तनग्राम चांदसिंपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी के खेतो के पास प्रतिपक्षीगण की खातेदारी के खेत भी है। प्रार्थी की खातेदारी का खेते ख. नं. 1277 रकबा 0.62 है0 वाके ग्राम चांदसिंपपुरा में आने–जाने का रास्ता, प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 की खातेदारी के ख. नं. 1265 रकबा 1.80 है0 की दक्षिणी दिशा में से होकर प्रतिपक्षीगण नं. 3 ता 9 के कब्जेकाश्त की भूमि ख. नं. 1279 रकबा 0.75 है0 की दक्षिणी दिशा में से होकर 4 मीटर चौड़ा व लम्बाई 120 मीटर बने हुये रास्ते से होकर ही है, उक्त रास्ते से प्रार्थी मुख्य मार्ग पर आता–जाता है, इसके अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता अपनी भूमि पर आने–जाने के लिये नहीं है। यह रास्ता नक्शा ट्रेस में अंकन नहीं होने के कारण प्रतिपक्षीगण 4 मीटर चौड़ा व 12 मीटर लम्बे ररास्ते को अवरूद्ध कर देते है। जिससे प्रार्थी को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी प्रतिपक्षीगण की भूमि में से रास्ता चाहने हेतु नियमानुसार डीएलसी दर से राशि जमा कराने को तैयार है। प्रतिपक्षी नं. 10 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया है। प्राथ्री का हिस्सा प्रतिपक्षी नं. 11 के यहा हिस्सा रहन होने के कारण फोरमल पक्षकार बनाया गया है। प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 का हिस्सा प्रतिपक्षी संख्या 12 के यहां रहन होने के करण उन्हे फोरमल पक्षकार बनयाया गया है। ख. नं. 1279 में वर्णित सह काश्तकार बरमा, देबीलाल , गलकू, सोसर व झुमा का स्वर्गवास हो जाने के कारण पक्षकार नहीं बनाया है, उसके स्थान पर उसके वारिस प्रतिपक्षी संख्या 3 ता 4 व 5 ता 8 को कब्जा काश्त उक्त भूमि में होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। तहसीलदार दूनी के जवाब व मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी ख0न0 1266 व 1277 पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता ख0न0 1281 रकबा 0.20 है0 गै0मु0 रास्ता के बाद उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 4 मीटर होगी। ख0न0 1265 में लम्बाई 80 मीटर यानि 80x4 = 320 वर्ग मीटर तथा ख0न0 1279 में लम्बाई 47 मीटर यानि 47x4 = 188. वर्ग मीटर होगी। ग्राम चांदसिंहपुरा की डीएलसी दर 2684 /– रूपये प्रति एयर है जिस दर से राशि 13635 /– रूपये होती है जिसकी दुगुनी प्रतिकर राशि 27270 /– रूपये होती है। प्रार्थी की आराजी ख0न0 1266 व 1277 खातेदारी होती है। प्रार्थी ख0 1265 रकबा 1.80 है0 एवं ख0न0 1279 रकबा 0.75 है0 मे से रास्ता चाहता है जो कि अप्रार्थीगण के खातेदारी दर्ज है। जमाबन्दी की प्रतियां संलग्न है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई सरंचना जैसे पेड, दिवार, पक्का निर्माण नहीं है। वर्तमान में काश्त के काम आ रही है। अप्रार्थी उक्त रास्ता देने के लिये सहमत नहीं है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त आराजी में रास्ते के सन्दर्भ में श्रीमान् के न्यायालय में उनवान किशनगोपाल बनाम तहसीलदार दूनी मिसल संख्या 197/17 विचाराधीन है जिसकी पूर्व में रिपोर्ट इस कार्यालय द्वारा भिजवाई गई है। जिसमें ग्राम चांदसिंहपुरा के आराजी ख0न0 1278 में से रास्ता चाहा गया है। अतः मौका रिपोर्ट, ट्रेस नक्शा, जमा बंदी की प्रति संलग्न कर प्रकरण कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। मौका रिपोर्ट के साथ मूल ट्रेस नक्शा, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां, डीएलसी की प्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की है।

पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दर्शाते हुए बताया कि प्रार्थी को आराजी ख0न0 1266 व 1277 पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता ख0न0 1281 रकबा 0.20 है0 गै0मु0 रास्ता के बाद उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया है कि प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक है। प्रार्थी एक बहुत ही गरीब काश्तकार है जिसको कोई भी अपनी आराजी में जाने हेतु रास्ता नहीं देता है। अतः प्रार्थी को अपनी आराजी में काश्त करने हेतु आने जाने के लिए रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। यदि प्रार्थी को रास्ता नही दिया गया तो प्रार्थी की आराजी भूमि पड़त रह जाऐगी। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी पक्षकारो से बात करने पर उन्होने रास्ता देने हेतु मना कर दिया और प्रार्थी को माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क के तहत पेश करना पड़ा। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट के अनुसार मिसल संख्या 197/2017 न्यायालय उपखण्ड में विचाराधीन है। उक्त पत्रावली पूर्व में ही नोट प्रेस में खारिज हो चुकी है। न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। मिसल संख्या 197/2017 का परीक्षण करने पर पाया कि यह प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड देवली में विचाराधीन नहीं है। उक्त पत्रावली पूर्व में ही नोट प्रेस में खारिज हो चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 10 तहसीलदार दूनी के अनुसार आराजी ख. नं. 1277 रकबा 0.62 है0 व ख. नं. 1266 रकबा 0.44 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.06 है0 वाके तनग्राम चांदसिंपुरा तहसील दूनी मे जाने हेतु कोई रास्ता राजस्व रिकॉर्ड व मौके पर उपलब्ध नहीं है तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है और प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी जोत में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में दर्शित लाल स्याही अनुसार ख0न0 1265 में लम्बाई 80 मीटर यानि 80x4 = 320 वर्ग मीटर तथा ख0न0 1279 में लम्बाई 47 मीटर यानि 47x4 = 188 वर्ग मीटर की तरमीम प्रार्थी द्वारा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि 27270 /— रूपये अथवा वर्तमान में प्रचलित डी.एल.सी दर की दुगनी प्रतिकर राशि की गणना कर जमा करने के उपरान्त तरमीम करे और सम्बन्धित पक्षकारो को सूचित कर उनके हिस्सेनुसार राशि प्रदान करे। प्रतिपक्षी संख्या 11 व 12 अपनी राशि तरमीम युक्त रास्ते को छोड़कर शेष आराजी के सम्बन्धित खातेदार से प्राप्त करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 04.10.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली